रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 185] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 16, 1999/चैत्र 26, 1921

No. 185] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 16, 1999/CHAITRA 26, 1921

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1999

सा. का. नि. 272 (अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सार्वजनिक जीवन, अर्थव्यवस्था तथा उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए पेट्रोलियम पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, प्रदाय के अविरत हित के विनियमन के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ —

(i) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भंडारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश, 1999 है।

(ii) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं.—इस आदेश में, जब कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "प्रपुंज विक्रय" से पेट्रोलियम उत्पादों के फुटकर विक्रय को छोड़कर विक्रय अभिप्रेत है ;

(ख) "व्यौहारी" से ऐसा कोई व्यक्ति फर्म अथवा कंपनी अभिप्रेत है, जो प्रत्यक्ष या अन्यथा पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण, वितरण और प्रदाय या फुटकर विक्रय का कारबार करती है ;

(ग) "डिपो" से पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण के लिए मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा अनुमोदित अथवा अनुज्ञप्त किया गया कोई परिसर अभिप्रेत है ;

(घ) "संस्थान" से ऐसा कोई परिसर अभिप्रेत है जिसमें पेट्रोलियम के प्रपुंज भंडारण के लिए विशेष रूप से कोई स्थान बनाया गया हो किन्तु इसमें बैल हैंड टैंक अथवा सर्विस स्टेशन सम्मिलित नहीं हैं।

(ङ) "तेल विपणन कम्पनियाँ" से ऐसा कोई व्यक्ति, फर्म या कंपनी अभिप्रेत है जो पेट्रोलियम उत्पादों का व्यौहारियों या उपभोक्ताओं को थोक अथवा फुटकर रूप में विक्रय करती है ;

(च) "तेल परिष्करण कम्पनियाँ" से ऐसा कोई व्यक्ति, फर्म या कंपनी अभिप्रेत है जो कच्चे-तेल या इसकी किसी व्युत्पन्नियों के परिष्करण या पुनःपरिष्करण में लगी हुई है ;

(छ) "पेट्रोलियम उत्पाद" से कच्चा-तेल अथवा कच्चे-तेल किसी अन्य पेट्रोलियम उत्पाद से जिसके अन्तर्गत विमानन टरबाईन तेल मो स्पिरिट, उच्चवेग डीजल, तरल पेट्रोलियम गैस और उत्कृष्ट मिट्टी का तेल नेफ्था तथा विलायक या व्युत्पन्नी भी है, विनिर्मित कोई उत्पा अभिप्रेत है ;

(ज) "फुटकर विक्रय केन्द्र" से भरण केन्द्र अभिप्रेत है जिसमें मोटर स्पिरिट तथा/अथवा उच्चवेग डीजल या तरल पेट्रोलियम गैस, मिट्टी तेल के फुटकर विक्रय के लिए व्यौहारी/वितरक को एक या अधिक संभरण पम्प प्रदान किए गए हों ;

(झ) "फुटकर विक्रय" से एक समय में किसी एक ग्राहक को 2500 लिटर से अधिक पेट्रोलियम उत्पादों का विक्रय नहीं किया जा स है, अभिप्रेत है ।

3. पेट्रोलियम उत्पादों का रख रखाव—(1) जहां पर केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक यह लिखित आदेश द्वारा किसी भी तेल परिष्करण कम्पनी को ऐसे किसी उत्पाद अथवा मिश्रण के उत्पादन का स्तर बनाए रखने या बनाए रखे जाने के विशेष शर्तों और निबंधन के अधीन रहते हुए निदेश दे सकेगी :

परन्तु यह कि केन्द्रीय सरकार द्वारा तब तक ऐसा कोई निदेश पारित नहीं किया जाएगा जब तक पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया हो।

(2) (i) उप खंड (1) के अधीन निदेश में किसी भी पेट्रोलियम उत्पाद के उत्पादन के रख-रखाव को बाबत ऐसी अवधि और ऐसी अवधि अनुपात तथा ऐसे विनिर्देशों का उपबंध किया जा सकेगा जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(ii) ऐसे निदेश में ऐसे अनुपूरक या अनुषंगी उपबंध भी हो सकेंगे जैसे केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे।

(3) खंड (1) के अधीन निदेश जारी करते समय केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित का ध्यान रखेगी:—

(i) ऐसा निदेश जारी किए जाने की तारीख को तेल परिष्करण कंपनी की किसी पेट्रोलियम उत्पाद के उत्पादन की क्षमता।

(ii) पिछले 5 वर्षों अथवा कंपनी के चालू होने से लेकर जो भी बाद का हो, उत्पादन से मौसमी उतारचढ़ाव को ध्यान में रखते हुए के उत्पादन के ऐसे उत्पाद की अधिकतम औसत मात्रा ;

(iii) परिष्करणी में कच्चे तेल के प्रकार की उपलब्धता तथा प्रचालनीय क्षमता ;

(iv) परिष्करणीय प्रचालन की आर्थिक क्षमता सहित अन्य कोई सुसंगत तथ्य।

4. पेट्रोलियम उत्पादों के स्टाक का रख-रखाव —

(1) यदि केन्द्रीय सरकार की राय में पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त प्रदाय बनाए रखना सुनिश्चित करने की दृष्टि से लोकहित में ऐ आवश्यक है तो वह लिखित आदेश द्वारा सभी अथवा किसी भी तेल परिष्करण कंपनी अथवा कम्पनियों अथवा तेल विपणन कंपनी या कम्पनियां ऐसी से तथा ऐसी अवधि के लिए जो कि उक्त आदेश से विनिर्दिष्ट की जाए पेट्रोलियम उत्पादों का ऐसा स्टाक जो इसमें विनिर्दिष्ट किया जाए तथा बनाए रखने की एक सूची ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में बनाए रखेगी जैसी कि विनिर्दिष्ट की जाए।

(2) ऐसे आदेश में ऐसे अनुपूरक या अनुषंगी निदेश भी अन्तर्विष्ट हो सकेंगे जिसे केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे।

(3) उपखंड (1) अधीन कोई आदेश जारी करने के पूर्व केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित का सम्यक् ध्यान रखेगी —

(i) सहयोगी परिष्करणियों की प्रचालक क्षमता, डेड स्टाक, टैंकों की सामयिक सफाई, टैंक वैगनों, पाइप लाइन अथवा टैंकर या ताजी आपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए कम से कम भंडारण स्थान का होना तथा प्रचालनों में आमेलन विभिन्नताओं के लिए टैंकर आगमन की समय तालिका ।

(ii) अन्य कोई सुसंगत तथ्य

5. पेट्रोलियम उत्पादों का प्रदाय और वितरण का विनियमन

(1) केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम उत्पादों के अबाध और समान वितरण तथा उपलब्धता के लिए आदेश द्वारा किसी भी तेल तेल परिष्कर से या उसके द्वारा एक या अधिक रखे गए पेट्रोलियम उत्पादों के स्टाक से भारत में किसी भी स्थान पर स्थित संस्थापन या डिपो को किसी कंपनियों से ऐसी मात्रा और ऐसी रीति में जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए प्रदाय करने या करवाने की अपेक्षा कर सकेगी और इस प्रयोजन या किसी भिन्न आदेश द्वारा किसी तेल परिष्करण कंपनी से तेल विपणन कम्पनी को ऐसा पेट्रोलियम उत्पाद या उत्पादों को ऐसी अवधि के लिए जै में विनिर्दिष्ट की जाए उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा कर सकेगी।

(2) किसी संस्थापन अथवा डिपो का प्रत्येक प्रभारी, किसी तेल विपणन कंपनी द्वारा प्रदाय किए गए पेट्रोलियम उत्पाद अथवा उत्पा होने पर चाहे वह उपखंड (1) के अन्तर्गत किए गए या अन्यथा किए गए किसी आदेश के अनुसरण में उन्हें ऐसे क्षेत्रों और ऐसी रीति में जि किया जाए, वितरण और विक्रय करेगा।

1167/GI/99-13